UPLL010046752025

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

उपस्थितः– अशोक कुमार सिंह,

आपराधिक निगरानी संख्या 101/2025

कुलदीप दीक्षित पुत्र श्री लाल जीवन दीक्षित, निवासी टीकमगढ़ रोड़ महरौनी, हाल निवासी जी.एस. अकेडमी, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

–––––निगरानीकर्ता।

बनाम

1. स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

2. नितिन कुमार जैन पुत्र श्री धन्य कुमार जैन, निवासी 382 सिविल लाइन, ललितपुर, थाना कोतवाली व जिला ललितपुर।

––––विपक्षीगण।

निर्णय

1– वर्तमान दाण्डिक निगरानी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.), ललितपुर द्वारा परिवाद संख्या 844/2019, नितिन कुमार जैन बनाम कुलदीप, थाना–कोतवाली, जिला–ललितपुर के प्रकरण में पारित तलबी आदेश दिनांकित 29.07.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने कुलदीप दीक्षित को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब किया है।

2– **निगरानी की उत्पत्ति करने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि–**

निगरानी में विपक्षी संख्या 2 (एतस्मिनपश्चात् संदर्भित परिवादी) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.), ललितपुर के न्यायालय में निगरानीकर्ता कुलदीप दीक्षित (एतस्मिनपश्चात सन्दर्भित विपक्षी) को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में तलब कर दण्डित किये जाने हेतु संक्षेप में इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया कि रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी शाखा कचहरी रोड, सिविल लाइन में वह एडवाइजर के रूप में कार्यरत है और विपक्षी सेल्स मैनेजर है, इस कारण उनके मध्य मधुर संबंध हो गये थे। दिनाँक 05.02.2017 को उसके निवास पर विपक्षी आया और महरौनी में प्लाट क्रय करने के लिए 6 लाख रुपये उधार मांगे। उसने कहा कि अभी उसके 4,50,000/– हैं, जो दे सकता है। इस पर विपक्षी ने विश्वास दिलाया कि वह तीन–चार माह में रुपये वापस कर देगा। उसने विवेक जैन के समक्ष 4,50,000/– रुपये विपक्षी कुलदीप दीक्षित को नगद दे दिया। उसके उपरान्त विपक्षी जब–जब ललितपुर आया, उसने विपक्षी से अपने उक्त रुपयों के भुगतान का तगादा किया, तब दिनाँक 30.09.2018 को शाम करीब 6 बजे विपक्षी ने उसके घर आकर अपने एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा ललितपुर के खाता संख्या 20701000000151 पर जारी चैक संख्या 000050 दिनाँकित 30.09.2018 से मुबलिग 4,50,000/– रुपये का चैक अपने हस्ताक्षर करके उसको को दिया और विश्वास दिलाया कि इससे भुगतान हो जायेगा। उसने उक्त चैक दिनाँक 28.12.2018 को अपने बैंक ऑफ इंडिया शाखा ललितपुर के खाता संख्या 694010110003973 में भुगतान हेतु

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 16:02:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत किया तो उक्त दिनाँक 28.12.2018 को पेमेन्ट स्टाप बाई ड्रायर की आपत्ति के साथ वापस कर दिया गया, जिसकी सूचना उसे दिनाँक 29.12.2018 को प्राप्त हुई। विपक्षी ने उसके 4,50,000/– रुपये प्राप्त कर, उनका भुगतान न करके अपने खाते का चैक भुगतान हेतु दिया और फिर बिना सूचना दिये उक्त चैक के भुगतान पर रोक लगा दी गयी। उसने धारा 138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाँक 22.01.2019 को विपक्षी को नोटिस प्रेषित किया, जिससे विपक्षी ने जानबूझकर प्राप्त नहीं किया। नोटिस की अवधि निकाल जाने के उपरान्त भी विपक्षी ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है।

3– परिवादी नितिन कुमार ने परिवाद के समर्थन में धारा 200 द.प्र.सं. के बयान में स्वयं का शपथ पत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य में चैक संख्या 000050 की छाया प्रति (7क), रिटर्न मेमो दिनाँकित 28.12.2018 की मूल प्रति (8क), नोटिस की प्रति (9क), रजिस्ट्री रसीद की प्रति (10क), प्रेषित नोटिस के लिफाफे पर पोस्टमास्टर की रिपोर्ट (11क) व सूची (15क/1) के माध्यम से चैक संख्या 000050 की मूल प्रति (15क/2) प्रस्तुत किया है।

4– परिवादी नितिन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश से विपक्षी कुलदीप दीक्षित को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विपक्षी द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5– मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार से सुना है तथा मजिस्ट्रेट न्यायालय की तलबिदा पत्रावली का परिशीलन किया है।

6– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर पारित किया है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट ने स्वंय में निहित क्षेत्राधिकार का समुचित प्रयोग नहीं किया है। परिवाद कथानक फर्जी व मनगंढ़न्त है, जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसकी एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा ललितपुर स्थित खाता संख्या 20101000000151, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा ललितपुर स्थित खाता संख्या 26280200000587, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ललितपुर स्थित खाता संख्या 020040178588 एवं भारतीय स्टेट बैंक, शाखा महरौनी स्थित खाता संख्या 011247791155 की चारों चैक बुक दिनाँक 28.05.2013 को खो गयी थी, जिसकी शिकायत उसने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललितपुर को दी थी। चैक संख्या 000050 में जो धनराशि एवं परिवादी का नाम अंकित किया गया है, वह निगरानीकर्ता के हस्तलेख में नहीं है। परिवादी द्वारा, निगरानीकर्ता की खोई हुई चैकबुक में से चैक लेकर उस पर धनराशि व तिथि अंकित कर मिथ्या रूप से बैंक में प्रस्तुत किया गया है। उस पर नोटिस विधिवत तामील नहीं हुआ। उसने महरौनी में कोई प्लाट नहीं लिया है। वह और परिवादी एक साथ काम करते थे और परिवादी के पास से चैक मिलना यह सिद्ध करता है कि निगरानीकर्ता की खोई हुई चैकबुक परिवादी के पास है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उपरोक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

7– राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की वैधता का बचाव करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश में तथ्य, विधि या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक् परिशीलन के उपरांत आक्षेपित आदेश पारित किया है।

8– पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि परिवादी नितिन द्वारा विपक्षी कुलदीप दीक्षित को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब करने हेतु दिनाँक 26.02.2019 को परिवाद प्रस्तुत किया गया और उसी दिन धारा 200 द.प्र.सं. के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनाँक 29.07.2024 को आक्षेपित आदेश से विपक्षी को धारा 138 एन.आई. एक्ट के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है। पत्रावली पर अभिलेखीय साक्ष्य में चैक संख्या 000050 की मूल प्रति (15क/2), रिटर्न मेमो दिनाँकित 28.12.2018 (8क), नोटिस धारा 138 एन.आई. एक्ट की प्रति (9क), रजिस्ट्री रसीद की प्रति (10क), नोटिस धारा 138 एन.आई. के लिफाफे पर पोस्टमास्टर की रिपोर्ट (11क) उपलब्ध है। चैक संख्या 000050 की मूल प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक का उक्त चैक मुबलिग 4,50,000/– रुपये, विपक्षी कुलदीप दीक्षित द्वारा परिवादी नितिन कुमार के पक्ष में जारी किया गया है, जिस पर विपक्षी कुलदीप दीक्षित के हस्ताक्षर हैं। उक्त चैक परिवादी द्वारा अपने बैंक ऑफ इंडिया शाखा ललितपुर के खाता संख्या 694010110003973 में दिनाँक 28.12.2018 को जमा किया गया, जो रिटर्न मेमो के अनुसार दिनाँक 28.12.2018 को Payment stopped by drawer के उल्लेख के साथ वापस कर दिया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जब परिवादी द्वारा भुगतान हेतु चैक बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो चैक Payment stopped by drawer की अंकना से साथ अनादृत हो गया।

9– विचारण हेतु आहूत करते समय साक्ष्य का मूल्यांकन उस प्रकार से नहीं किया जाता, जिस प्रकार से मामले के अंतिम निस्तारण के समय गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु किया जाता है। विचारण हेतु आहूत करते समय विचारण न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, यदि विपक्षी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो उसे विचारण हेतु आहूत किया जाता है।

10– प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षी कुलदीप दीक्षित को समुचित धारा में विचारण हेतु तलब किया है। निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी में जो भी तर्क/आधार लिये गये है, उनके आधार पर इस स्तर पर तलबी आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक इस तर्क का प्रश्न है कि परिवादी की चैकबुक चोरी हो गयी थी और परिवादी द्वारा उस पर कूटरचना कर, उसका गलत उपयोग करके गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद प्रस्तुत किया है तथा इस संबंध में दिनाँक 28.05.2013 को प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली ललितपुर को संबोधित प्रार्थना पत्र की प्रति दाखिल की गयी है, का प्रश्न है, तो उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा चैक संख्या 000050 दिनाँक 05.02.2017 को परिवादी के पक्ष में जारी किया गया है, जो दिनाँक 28.12.2018 को बैंक से अनादृत हुआ है, जिस पर

परिवादी द्वारा दिनाँक 22.01.2019 को उसे जरिए अधिवक्ता नोटिस प्रेषित किया गया है और दिनाँक 26.02.2019 को दाखिल परिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनाँक 29.07.2024 को निगरानीकर्ता को धारा 138 एन.आई. एक्ट में तलब किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा तलबी आदेश दिनाँकित 29.07.2024 के लगभग एक वर्ष उपरान्त दिनाँक 25.05.2025 को परिवादी के विरुद्ध धारा 246, 318(4) बी.एन.एस. के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है, जो जाँच का विषय है तथा निगरानी के इस स्तर पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

11– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय के विचार में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई नियम प्रतिकूलता, विधि विरूद्धता तथा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। तद्नुसार निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.), ललितपुर द्वारा परिवाद संख्या– 844/2019, नितन कुमार जैन बनाम कुलदीप दीक्षित, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला– ललितपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 29.09.2025 की पुष्टि की जाती है।

इस निर्णय एवं आदेश की प्रति के साथ विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाए। पक्षकार उक्त न्यायालय में दिनाँक 28.03.2026 को पेश हो।

दिनाँकः 11.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित कर सुनाया गया।

दिनाँकः 11.03.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।

––––––––––––––––––